न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद, बिहार।

मदनपुर थाना कांड संख्या 618/2022

जी.आर. 2990/2022

सी.आई.एस. संख्या– 09/2025

26.02.2026 प्रस्तुत वाद संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

संज्ञान के विन्दु पर विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। आरोप पत्र, वाद दैनिकी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत कांड में प्राथमिकी में नामित 11 अभियुक्तगण एवं अन्य पन्द्रह अज्ञात के विरूद्ध पुलिस बल एवं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुॅचाने एवं अन्य नक्सली कार्यवाही हेतु विस्फोटक सामग्रियों को पहाडी क्षेत्रों में छुपाने के आरोप में भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 तथा धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पूर्व में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के पश्चात प्राथमिकी के सभी 11 नामजद एवं 15 अज्ञात उग्रवादियों के विरूद्ध मामला सत्य पाते हुये शेष अभियुक्तों के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुये काराधीन अभियुक्त इन्दल जी उर्फ उमा जी उर्फ ललन सिंह भोक्ता उर्फ उमा भोक्ता के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 353, 307, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र संख्या 302/2025 दिनांक 25.04.2025 न्यायालय में समर्पित किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 06.05.2025 को आरोपपत्रित काराधीन अभियुक्त इन्दल जी उर्फ उमा जी उर्फ ललन सिंह भोक्ता उर्फ उमा भोक्ता के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 4, 5 एवं धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। प्रस्तुत कांड में पुनः अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के

–लगातार–

CIVIL COURT AURANGABAD

<u>लगातार</u>

26.02.2026

पश्चात शेष फरार अभियुक्तों का पूरक अनुसंधान जारी रखते हुये प्राथमिकी में नामित काराधीन अभियुक्त प्रमोद मिश्रा उर्फ मदन जी एवं अभिजीत यादव उर्फ बनवारी उर्फ कौआल के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 353, 307, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत पूरक आरोपपत्र संख्या 513704922061802/2026 दिनांक 16.02.2026 न्यायालय में समर्पित किया गया है।

पूरक आरोपपत्रित काराधीन अभियुक्त प्रमोद मिश्रा उर्फ मदन जी एवं अभिजीत यादव उर्फ बनवारी उर्फ कौआल के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 4, 5 एवं धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया विचारण हेतु वाद दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। प्रस्तुत कांड में दिनांक 06.05.2025 को आरोपपत्रित काराधीन अभियुक्त इन्दल जी उर्फ उमा जी उर्फ ललन सिंह भोक्ता उर्फ उमा भोक्ता के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 307, 353, 120बी एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–बी)ए, 26, 35 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 4, 5 एवं धारा 13, 16, 18, 20 गैर कानूनी गतिविधियॉ (रोकथाम) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है, अतएव उसके निरन्तर में पूरक आरोपपत्रित काराधीन अभियुक्तगण प्रमोद मिश्रा उर्फ मदन जी एवं अभिजीत यादव उर्फ बनवारी उर्फ कौआल के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध का संज्ञान मान्य होगा। कार्यालय प्राथमिकी के शेष अभियुक्तों का पृथक वाद खोले। प्रस्तुत वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, औरंगाबाद के न्यायालय में दिनांक 12.03.2026 निश्चित कर भेजा जाता है।

लेखापित

सत्र न्यायाधीश
औरंगाबाद।

CIVIL COURT AURANGABAD

CIVIL COURT AURANGABAD